

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **256** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० पूनम सिंह	रा०हो०चि०, हिरनाखेडी, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, द्वारगढ़, टिहरी गढ़वाल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दश में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **256** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **257** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० विनय कुमार कुडियाल	रा०हो०चि०, ऋषिकेश, देहरादून।	रा०हो०चि०, नारायणकोटी, रुद्रप्रयाग।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **257** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **258** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दीप्ती वर्मा	रा०हो०चि०, जिला चि०, नैनीताल।	रा०हो०चि०, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दश में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

% निदेशक,

पत्रांक: **258** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

% निदेशक।

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: 259 / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: 09 जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० अमितराज सिंह नेगी	रा०हो०चि०, रायवाला, देहरादून।	रा०हो०चि०, फनार, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक,

पत्रांक: 259 / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक।

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: 260 /नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: 09 जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० भावना जोशी	रा०हो०चि०, बेस चि०, हल्द्वानी, नैनीताल।	रा०हो०चि०, हरीशताल, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 260 /नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: 261 / नि०हो० / 628 / 2025-26.

दिनांक: ०१ जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० शिखा सम्मल	रा०हो०चि०, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।	रा०हो०चि०, जिला बागेश्वर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक,

पत्रांक: 261 / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **262**/नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० आभा शर्मा	रा०हो०चि०, छरबा, देहरादून।	रा०हो०चि०, बसाया, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

निदेशक,

पत्रांक: **262**/नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवार्य, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **263** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० खडक सिंह आंकोटी	रा०हो०चि०, नेहरूग्राम, देहरादून।	रा०हो०चि०, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **263** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **264** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 06 जनवरी, 2018 द्वारा प्रस्थापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० पंकज पंत	रा०हो०चि०, सिरकोट, बागेश्वर।	रा०हो०चि०, बेस चि०, हल्द्वानी, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **264** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **265** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **19** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० फूलमिशा खातून	रा०हो०चि०, जिला चि०, पौड़ी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, भगवानपुर, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

% निदेशक,

पत्रांक: **265** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

% निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **266** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० सन्तोष	रा०हो०चि०, नैनीडाडा, पौड़ी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, जिला चि०, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **266** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **267** /नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० पुष्कर सिंह पांगती	रा०हो०चि०, महुवा, चम्पावत।	रा०हो०चि०, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **267** /नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **268** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1488/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० गीता गोरखा	रा०हो०चि०, नारायणकोटी, रुद्रप्रयाग।	रा०हो०चि०, मुने की रेती, टिहरी गढ़वाल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पत्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **268** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **269** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० धनश्याम मिश्रा	रा०हो०चि०, बसाया, देहरादून।	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दश में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **269** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **270** /नि0हो0/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि0हो0/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० ए०क्यू० अंसारी	रा०हो०चि०, टिहरी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, चौली, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **270** /नि0हो0/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **271** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय झाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० अमित उनियाल	रा०हो०चि०, पिलखी, टिहरी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, ऋषिकेश, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **271** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।


(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: ०१ जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० सतीश सिंह पिंगल	रा०हो०चि०, फनार, देहरादून।	रा०हो०चि०, नेहरूग्राम, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 272/नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।